120

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 746—दो/2007 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 19—02—2007 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 62/अपील/2005—06

.....

1— रामबुटाई पत्नी स्व0 श्री इन्द्रप्रसाद दुबे

2— अवधेश प्रसाद तनय स्व0 श्री इन्द्रप्रसाद दुबे

निवासीगण—ग्राम बरौहा तहसील त्यौंथर,
जिला—रीवा (म0प्र0) हाल मुकाम ग्राम पड़रिया पो0 बुसौल
थाना सेमरिया, तहसील सिरमौर, जिला—रीवा(म0प्र0)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

उमाकान्त तनय श्री रामफल तिवारी
निवासी—ग्राम बरौहा तहसील —त्यौंथर
जिला—रीवा(म0प्र0)

.....अनावेदक

.....

श्री डी0एस0 चौहान, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 24-10-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19—02—2007 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षेप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बरौहा स्थित आराजी क्र0 148/1 रकबा 2.26 एकड़ का पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण किये जाने हेतु अनावेदक द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत अंतरैला के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत अंतरैला द्वारा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव क्र0 3 द्वारा दिनांक 21.07.1997 से अनावेदक के पक्ष नामांतरण आदेश पारित किया गया । ग्राम पंचायत अंतरैला के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। जहॉ अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 03.08.2005 से अपील को निरस्त करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त रीवा के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्रमांक 62/अपील/2005–06 पर दर्ज किया जाकर दिनांक 19.02.2007 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को उचित मानते हुये यथावत रखा तथा अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि के मूल भूमिस्वामी स्व0 इन्द्र प्रसाद दुबे थे। उनकी मृत्यु के पश्चात् वारिसाना उत्तराधिकारी के रूप में भूमिस्वामी अधिपत्यधारी आवेदकगण है। अनावेदक द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत अंतरैला के समक्ष पंजीकृत विक्रय पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे आवेदकगण ने फर्जी माना है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि विवादित भूमि पर आवेदकगण का कब्जा दखल है। अधीनस्थ न्यायालयों में विचारण के दौरान स्थगन प्राप्त था। अंत में आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक ने पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर अपने नाम नामांतरण किये जाने का आवेदन सरपंच ग्राम पंचायत अंतरैला के समक्ष प्रस्तुत किया था। जिस पर ग्राम पंचायत प्रस्ताव क्र0 3 द्वारा अनावेदक के पक्ष में दिनांक 21.07.97 द्वारा नामांतरण का आदेश पारित किया है। चूँकि पंजीकृत विक्रय पत्र पर ग्राम पंचायत द्वारा

नामांतरण आदेश पारित किया गया है। रजिस्टर्ड या पंजीकृत विक्रय पत्र अथवा दस्तावेज की जांच करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को है। यदि पंजीकृत विक्रय पत्र पर कोई शंका है तो उसका निराकरण सिविल न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर किया जा सकता है। राजस्व न्यायालय द्वारा ऐसे विलेखों की वैधता की जांच नहीं की जा सकती । अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर पारित नामातरण आदेश को उचित माना है। अतः अधीनस्थ न्यायालयों अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने जो निष्कर्ष निकाला है उसमें कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से निरस्त की जाती है ।

(एस0ऐस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर